



507/1

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11118 /28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक : 26 फरवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मैनपुरी।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0348002100122948	IFSC Code PUNB0034800	80.411

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्डेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) में कुन्दन लाल के मकान से दीन दयाल के मकान होते हुये तेज सिंह के मकान व विजय कश्यप तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.532	100%
2	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत स्व० भारत सिंह के मकान से बलवन्त के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.566	100%
3	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत विजय सिंह के मकान से विमला शाक्य के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.614	100%
4	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत रक्षपाल कहार के मकान से घनश्याम के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.819	100%
5	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प०	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत	6.530	100%



507/2

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
			मैनपुरी	देवीदयाल प्रजापति के मकान से धनीराम कश्यप के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
6	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत रामदास के मकान से ब्रजेश कश्यप के मकान होते हुये भइयालाल के मकान तक एवं मोहर सिंह तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.153	100%
7	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत मुन्नालाल कश्यप के मकान से फलाहारी आश्रम तक इण्टरलाकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।	18.524	100%
8	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत सरकारी वाड़ा से गीतम कश्यप के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.932	100%
9	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत धमेन्द्र कश्यप के मकान से पप्पू शाक्य के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	6.148	100%
10	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत मन्दिर से लेकर राजेश मिस्त्री के मकान तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.833	100%
11	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-28 (नगरिया) के अन्तर्गत विद्यावती के घर से ब्रजपाल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य।	8.870	100%
12	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-14 (मधाऊ) के अन्तर्गत मुन्ना लाल कश्यप के मकान से दिवारी लाल व भोले शंकर के मन्दिर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.425	100%
13	मैनपुरी	म०ब०-83	न०पा०प० मैनपुरी	वार्ड संख्या-12 (नगला गोवर्धन) के	12.465	100%



507/3

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				अन्तर्गत होशियार सिंह के मकान से रामविलास के मकान होते हुए अशोक कुमार के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य।		
	योग				80.411	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी



567/4

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक